आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 22.03.2024
समय : 0705

<><><><><><><>

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए प्रचार अभियान के दौरान रोड शो करने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किया गया है।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी. एस. जगलान ने कल चुनाव आदर्श आचार संहिता के बुनियादी पहलुओं पर प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की।
- भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोट डालने में असमर्थ पचासी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं सहित कुछ अन्य श्रेणियों के मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दायर शपथ पत्र को नामांकन भरने के चौबीस घंटे के भीतर सूचना पट्ट पर दर्शा दिया जाएगा।
- रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इक्कतीस मार्च रविवार को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने को कहा है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अभियान के दौरान रोड शो करने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रचार अभियान के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस सिलसिले में सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को रोड शो करने से पहले प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। रोड शो की अनुमति छुट्टियों के दिनों के अलावा भीड़–भाड़ वाले अवधि के बाद देने को कहा गया है। रोड शो में शामिल होने वाले वाहनों और लोगों की जानकारी पहले से देनी होगी। रोड शो के दौरान सड़क को आधे भाग से अधिक कवर नहीं करना होगा। रोड शो में शामिल वाहनों के काफिले को प्रत्येक दस वाहनों के बाद सौ मीटर की दूरी बनाए रखने होंगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड शो के दौरान पटाखे आदि छोड़ने की भी मनाही की गई है। हाथों में इस्तेमाल होने वाले बैनर के आकार को भी सीमित किया गया है। इसके अलावा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के अनुमति के बाद रोड शो में प्रचार अभियान वाले वाहनों में सिर्फ एक ही झंडे का इस्तेमाल करना होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशानुसार और स्थानीय नियमों और न्यायालय के आदेशों

के अनुसार लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करना होगा। रोड शो में पशुओं का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंध है। बच्चे विशेषकर यूनिफार्म में स्कूली बच्चों को रोड शो में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस निर्देश का सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान ने कल सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आदर्श आचार संहिता के बुनियादी पहलुओं पर प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में द्वीपसमूह के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आर्दश आचार संहिता का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान अभियान, मतदान और मतगणना प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और शान्तिपूर्ण तरीके से हो। इसके अलावा यह सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्य मशीनरी और वितीय संसाधनों के किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। चुनाव प्रचार के लिए अधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग, चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करना पूरी तरह वर्जित है। आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी विनायक चमाडिया ने आदर्श आचार संहिता के बारे में प्रस्तुति के माध्यम से इसके प्रभावी कार्यान्वयन और अपेक्षित सतर्क निगरनी उपायों के बारे में जानकारी दी।

<><><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए द्वीपसमूह में लोगों से रिश्वत लेने जैसे कार्यों से दूर रहने की अपील की गई है। जारी अपील में कहा गया है कि यदि मतदाताओं को किसी भी व्यक्ति की ओर से रिश्वत देने या उन्हें डराने–धमकाने की कोशिश की जाती है, तो वे निःशुल्क नम्बर एक नौ पांच शून्य पर जानकारी दे सकते हैं। शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ में चौबीसों घंटे शिकायतें प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।

उधर, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पिचासी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं सहित चालीस प्रतिशत और इससे अधिक के दिव्यांगजन तथा कोविड से प्रभावित श्रेणियों के मतदाता, जो व्यक्तिगत रूप से अपने–अपने मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाल पाएंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी के मतदाता जो मतदान के लिए विशेष प्रावधान की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अपने–अपने बी एल ओ से संपर्क कर जरूरी निर्देश प्राप्त करने को कहा गया है।

इस बीच, कल नामांकन दाखिल करने का दूसरा दिन था और कल भी कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया।

<><><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दायर शपथ पत्र को नामांकन भरने के चौबीस घंटे के भीतर सूचना पट्ट पर दर्शा दिया जाएगा। यह जानकारी द्वीपों के तीनों ज़िलों के उपायुक्त कार्यालयों के सूचना पट्ट के अलावा दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान ज़िला परिषद के सूचना पट्ट, सभी उप–खंडीय मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों और सभी तहसील कार्यालयों के सूचना पट्ट पर उपलब्ध होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया को न सिर्फ पारदर्शी बनाया जा सकेगा, बल्कि सूचनाप्रद भी होगी। दायर किए गए शपथ पत्र चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

<><><><><><><>

निकोबार ज़िला उपायुक्त और उप–निर्वाचन अधिकारी ज्योति कुमारी ने कहा कि निकोबार ज़िले में चुनौतियों के बावजूद लोकसभा चुनाव कराने के लिए ज़िला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि शोम्पेन आदिम जनजातियों के लिए शोम्पेन हट नामक मतदान केन्द्र बनाया गया है, जहां इस आदिम जनजाति के लोगों को मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान ने कल सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में कार्यरत मीडिया सेल का दौरा किया और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित फर्जी और पेड न्यूज की निगरानी के लिए दक्षिण अण्डमान के ज़िला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति– एम. सी. एम. सी और एक सोशल मीडिया समिति, मीडिया सेल में कार्य कर रही है। उन्होने यूनिट में स्थापित सुविधाओं को देखा और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होनें चुनाव पर फर्ज़ी और पेड न्यूज तथा गलत सूचनाओं पर नज़र रखने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धार्मिक और साम्प्रदायिक पहलुओं वाली खबरों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। उन्होंने उन्नीस अप्रैल को द्वीपों में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने को कहा।

<><><><><><><>

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को परामर्श जारी किया है कि वे रविवार इक्कतीस मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रखे। यह परामर्श सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी बैंकों को इक्कतीस मार्च को लेन–देन के लिए खुला रखने के अनुरोध के बाद आया है, जिससे प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन–देन का हिसाब–किताब चालू वित्त वर्ष में ही किया जा सके।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार कमान की ओर से आज खुली समुद्री तैराकी का आयोजन किया गया हैं। परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखे गए सभी इक्कीस द्वीपों को शामिल कर यह तैराकी आयोजित होगी। पहली तैराकी आज दिन में ग्यारह बजे मरीना से सुभाष चन्द्र बोस द्वीप तक आयोजित होगी।

<><><><><><><>

समाचार पत्रों की सुर्खियां

द्वीपों में चुनाव तैयारियेां का जायज़ा लेने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कल पोर्ट ब्लेयर में बैठक आयोजित होने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स ने आज अपनी बडी खबर बनाया है। द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा चुनाव से जुडे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने के समाचार को पहले पन्ने में प्रकाशित किया है। चुनाव सामाग्रियों की छापाई की व्यवस्था की निगरानी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सरकारी प्रेस का दौरा करने के समाचार को इंफो इंडिया ने पहले पन्ने में जगह दी हैं। अग्निशमन मुख्यालय की ओर से आपदा की तैयारियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने के समाचार को अंडमान क्रोनिकल में जगह मिली है। मायाबंदर कॉलेज में प्रजातंत्र की दीवार पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने अन्दर के पन्ने में प्रकाशित किया है।

<><><><><><><>